न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 18/2009/223 आर टी ए

1. अजयकुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. रामजस पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मु0 भागवंती विधवा पत्नि हंसराज निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2009 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 113/2006 अनवानी रामजस बनाम अजयकुमार आदि

उपस्थित :–
श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–04.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का पेश किया कि वादी के नाम से चक 650 आरडी के प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12 मे 0.063 है0 कि.न. 13 मे 0.127 है0 कुल 0.190 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदारी दर्ज है भूमि कम होने के कारण वादी ने उक्त भूमि प्रतिवादीगण को ठेका पर काश्त हेतु दी थी परन्तु प्रतिवादीगण भूमि पर जबरदस्ती काबिज हो गये। प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें। उक्त वाद मे अपीलांट की तरफ से अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज की व दिनांक 20.06.07 को हिदायत पैरवी न होना बताते हुए वाद मे एक तरफा कार्यवाही करके रेस्पो0 की साक्ष्य लेकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.09 के द्वारा वाद डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने बिना कोई जांच किये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट व अन्य रेस्पो0 की चक 650 आरडी मे सम्वत 2057 से 2060 खाता सं. 78 मे कुल 14.421 है0 भूमि अन्य सहकाश्तकारो के साथ संयुक्त खाता मे दर्ज थी उक्त खाता मे अपीलांट व उनकी माता मु0 भागवंती देवी का कुल 3.858 है0 हिस्सा था। उक्त भूमि बाबत न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी मे एक वाद अनवानी दुनीराम बनाम हेतराम आदि वाद सं. 143/04 अन्तर्गत धारा 58 व 183 आरटीए प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद मे अपीलांट व उनकी माता मु0 भागवंतीदेवी बतौर प्रतिवादी पक्षकार थे। रेस्पो0 रामजस भी बतौर सहकाश्तकार वाद मे पक्षकार थ्झा। उक्त वाद मे अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। रेस्पो0 रामजस ने उक्त वाद मे जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत कर अपने हिस्सा अनुसार चक 650 आरडी प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12 मे 0.063 है0 कि.न. 13 मे 0.127 कुल 0.190 है0 भूमि का खाता विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद मे निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.06 के द्वारा वादी दुनीराम आदि प्रस्तुत वाद व रामजस द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम डिक्री कर दिया व उक्त डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम से खाता अलग कायम करवाकर पुनः रामजस बनाम अजयकुमार वाद प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त की है जबकि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 भागवंती का विवादित भूमि चक 650 आरडी मे कुल 14.421 है0 भूमि मे 3.858 है0 भूमि हिस्सा है व हिस्सानुसार ही भूमि पर काबिज है पूर्व वाद दुनीराम बनाम हेतराम मे रेस्पो0 के काउंटर क्लेम के संबंध मे अपीलांअ को कोई नोटिस नही दिया गया था व अपीलांट ने उक्त वाद के विरूद्ध अपील अजयकुमार बनाम दुनीराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदि प्रस्तुत कर दी है। रेस्पो0 रामजस ने अपीलांट के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि एकतरफा तौर पर अपने नाम से दर्ज करवा ली थी व इसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वाद डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा अपना कोई वकील मुर्कर्रर नही किया गया था व ना ही वकालतनामा प्रस्तुत किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्य अंकित करके अपीलांट को बिना कोई सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिले खारिज है। अपीलांट निर्णय व डिक्री मे वर्णित भूमि प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12 मे 0.063 है0 व कि.न. 13 मे 0.127 है0कुल 0.190 है0 भूमि भी कब्जा काश्त मे है अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 के कब्जा काश्त मे हिस्सा से अधिक कोई भी भूमि नही है। अपीलांट निर्णय मे वर्णित भूमि हिस्सानुसार अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 के कब्जा काश्त मे है परन्तु रेस्पो0 रामजस ने रेस्पो0 सं. 2 को वाद मे पक्षकार नही बनाया था इसलिये पक्षकारो के अभाव मे भी वाद काबिले खारिज था परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा करके निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। मियाद अवधि के संबंध मे जो प्रार्थना पत्र अपीलांटस ने प्रस्तुतकर जानकारी के संबंध मे दिनांक 03.03.2009 को जानकारी होना बतलाया है जबकि अपीलांट को इस संबंध मे जानकारी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद सं. 113/2006 अनवान रामजस बनाम अजयकुमार मे दिनांक 23.11.2006 को उपस्थित आने के वक्त ही हो चुकी थी लेकिन इस तथ्य को छुपाते हुए यह अपील मियाद अवधि मे लेने का प्रयास किया है। जिसकी कानूनन अनुमति अपीलांटस प्राप्त नही कर सकते। इस संबंध मे न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2002 (1) पेज 33, आरआरटी 2014(2) पेज 1349, आरआरटी 2014–15 पेज 441, आरआरडी 2015(1) पेज 82 प्रस्तुत

Web Copy - Not Official

है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे रेस्पो0 को प्राप्त चक 650 आरडी के प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12/0.063, 13/0.127 कुल 0.190 है0 भूमि के संबंध मे आपत्ति प्रकट की है जबकि यह भूमि रेस्पो0 के ही कब्जा काश्त मे रही है इस संबंध मे आवश्यक दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये है। अपीलांट ने दिनांक 26.04.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उसमे मात्र अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय रामजस बनाम अजयकुमार की प्रति व न्यायालय द्वारा निर्णित अपील सं. 57/2016 अनवान सरस्वती बनाम हरपालसिंह के निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसके खण्डन मे रेस्पो0 द्वारा उक्त अपील मे आलौचय आदेश अधीनस्थ न्यायालय वाद सं. 669/2013 अनवान हरपाल बनाम अजयकुमार के निर्णय व डिक्री की प्रति प्रस्तुत की है जिसमे उक्त वाद मे अपीलांटस ने राजीनामा प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे वाद तय करवाया है जिसमे चक 650 आरडी के प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12/0.190, 13/0.050 कुल 0.240 है0 भूमि पर अपना कब्जा होना व इसी कदर राजीनामा प्रस्तुत करते हुए निर्णय करवाया है जिसके संबंध मे अपीलांट ने जो आपत्ति न्यायालय मे प्रकरण रिमाण्ड होने के संबंध मे प्रस्तुत की है। माननीय न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड करते हुए वक्त राजीनामा के संबंध मे अपने निर्णय मे कोई उल्लेख नही किया है। मात्र मृतक प्रतिवादी सं. 13 रामसिंह के देहान्त का मुख्य उज्र लेते हुए ही मामला रिमाण्ड किया है। कानूनी रूप से अपीलांट अपने इस राजीनामा से पूर्णतया विबंधित है व अधीनस्थ न्यायालय मे भी वे राजीनामा से बाहर जाकर किसी प्रकार के कथन करने के अधिकार नही है। इस राजीनामा मे भी उपरोक्त दोनो किलो मे उन्होने अपना हिस्सा माना है उसका किसी प्रकार से कोई संबंध रेस्पो0 से नही है व ना ही अधीनस्थ न्यायालय मे उपरोक्त वाद हरपालसिंह बनाम अजयकुमार मे रेस्पो0 पक्षकार रहा है व ना ही रेस्पो0 की भूमि अधीनस्थ न्यायालय मे इस वाद मे अन्तर्वलित रही है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय प्रकरण संख्या सं. 669/2013 अनवान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हरपालसिंह बनाम अजयकुमार की प्रति भी जानबूझकर प्रस्तुत नही की क्योंकि यह उनके खिलाफ था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मे चक 650 आरडी प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 13/0.076 दुनीराम रेस्पो0 सं. 1 ने प्राप्त की है जिसको भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.06 मे निर्णित किया है इससे भी रेस्पो0 के अधिकार प्रभावित नही होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन रेस्पो0 सुरेन्द्रकुमार ने खुद प्राप्त किये है व जानबूझकर अधीनस्थ न्यायलय मे उपस्थित नही आये है। फिर भी अपीलांट तामील के संबंध मे अपील उज्र उठाने के अधिकारी नही है। अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांटस ने एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित करने के संबंध मे चुनौती दी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 23.11.06 को अपीलांटस ने अपनी उपस्थिति दी है व वकालतनामा भी प्रस्तुत किया है व बाद मे जानबूझकर इस प्रकरण मे हाजिर नही आये है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रकरण अनवानी हरपालसिंह बनाम अजयकुमार आदि के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जिसमे उन्होने राजीनामा प्रस्तुत किया, के आधार पर खुद को प्राप्त भूमि का इंतकाल भी अपने नाम से दर्ज करवा लिया व माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित अपील संख्या 57/2016 अनवान सरस्वती बनाम हरपालसिंह मे भी इस राजीनामा के संबंध मे कोई विरोध प्रकट नही किया बल्कि निर्णय के पैरा सं. 5 मे भी उक्त अपील का विरोध किया है व इन दोनो अपीलो मे उसी भूमि को अपीलांट चुनौती दे रहे है जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2002 (1) पेज 33, आरआरटी 2014(2) पेज 1349, आरआरटी 2014–15 पेज 441, आरआरडी 2015(1) पेज 82, आरआरडी 1992 पेज 427, आरआरडी 1993 पेज 405 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील

का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का पेश किया कि वादी के नाम से चक 650 आरडी के प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12 मे 0.063 है0 कि. न. 13 मे 0.127 है0 कुल 0.190 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदारी दर्ज है भूमि कम होने के कारण वादी ने उक्त भूमि प्रतिवादीगण को ठेका पर काश्त हेतु दी थी परन्तु प्रतिवादीगण भूमि पर जबरदस्ती काबिज हो गये। प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने यह अपील प्रस्तुत का तर्क किया है कि उक्त निर्णय व डिक्री मे वर्णित भूमि चक 650 आरडी के प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12 मे 0.063 है0 कि.न. 13 मे 0.127 है0 कुल 0.190 है0 पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि अपीलांटस की है। जबकि एक अन्य वाद संख्या 669/2013 अनवानी हरपालसिंह बनाम अजयकुमार आदि जिसमे अपीलांट बतौर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 पक्षकार थे तथा जिसमे अपीलांटस के कब्जा काश्त मे चक 650 आरडी के प.न. 223/304 मु.न. 8 कि.न. 12/0.190, कि.न. 13/0.050 है0 भूमि दर्शाई गई थी जिसमे अपीलांट द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद संख्या 669/2013 अनवानी हरपालसिंह बनाम अजयकुमार आदि मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का कथन किया गया, उक्त वादपत्र मे प्रस्तुत राजीनामा से अपीलांटस विबंधित है। चक 650 आरडी मे रेस्पो0 रामजस के नाम 0.190 है0 भूमि ही दर्ज है तथा इसी भूमि के संबंध मे रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183 आरटीए के तहत अनुतोष चाहा गया है। एक अन्य वाद संख्या 143/04 अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए अनवानी

दूनीराम बनाम हेतराम आदि मे भी रेस्पो0 रामजस द्वारा उक्त भूमि के संबंध मे खाता विभाजन बाबत कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का खाता रेस्पो0 रामजस के पक्ष मे डिक्री पारित की है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पारित समस्त निर्णय रेस्पो0 रामजस के पक्ष मे हुये है। अपीलांट द्वारा चक 650 आरडी के प.न. 223/304 मु.न. 8 के कि.न. 12/0.190, कि.न. 13/0.050 है0 के संबंध मे ही वाद अनवानी हरपालसिंह बनाम अजयकुमार आदि मे अनुतोष चाहा गया था जिसमे मुताबिक राजीनामा उक्त भूमि अपीलांटस को दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण रामजस बनाम अजयकुमार मे पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2009 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 18/2009/223 आर टी ए

1. अजयकुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. रामजस पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मु0 भागवंती विधवा पत्नि हंसराज निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2009 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 113/2006 अनवानी रामजस बनाम अजयकुमार आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजेन्द्र भुंवाल अधिवक्ता रेस्पो0 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण रामजस बनाम अजयकुमार मे पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2009 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 04.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ